भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3310
बुधवार, 24 मार्च, 2021/3 चैत्र, 1943 (शक)

कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत

3310 # डा. किरोड़ी लाल मीणाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरे देश में कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत का राजस्थान सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पूरे देश में ऊंचे पदों पर कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऊंचे पदों पर महिलाओं का प्रतिशत काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ड.) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुबंध में दिया गया है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने संध्या 7 बजे से सुबह **6** बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह **6** बजे से संध्या **7** बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

सामान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है। यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा के दिनांक 24-03-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3310 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) आयु समूहः 15 वर्ष एवं उससे अधिक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	ग्रामीण + शहरी (2018-19)		
		पुरूष	महिला	व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	**72.2**	**38.2**	**54.8**
2	अरुणाचल प्रदेश	**62.0**	**14.6**	**40.9**
3	असम	**72.5**	**11.7**	**43.4**
4	बिहार	**65.7**	**4.2**	**36.4**
5	छत्तीसगढ़	**74.4**	**47.7**	**61.2**
6	दिल्ली	**67.3**	**16.1**	**44.5**
7	गोवा	**68.5**	**25.0**	**45.9**
8	गुजरात	**76.5**	**21.1**	**49.7**
9	हरियाणा	**67.3**	**14.1**	**41.9**
10	हिमाचल प्रदेश	**71.7**	**56.3**	**63.9**
11	जम्मू और कश्मीर	**74.0**	**30.8**	**52.9**
12	झारखंड	**71.6**	**20.4**	**44.9**
13	कर्नाटक	**73.5**	**24.2**	**49.3**
14	केरल	**67.7**	**25.3**	**44.9**
15	मध्य प्रदेश	**75.6**	**27.5**	**52.3**
16	महाराष्ट्र	**70.3**	**29.9**	**50.6**
17	मणिपुर	**66.1**	**22.9**	**44.3**
18	मेघालय	**74.4**	**49.6**	**61.8**
19	मिजोरम	**64.9**	**26.2**	**45.6**
20	नागालैंड	**58.9**	**16.8**	**38.1**
21	ओडिशा	**73.4**	**22.8**	**47.6**
22	पंजाब	**68.8**	**17.3**	**44.2**
23	राजस्थान	**69.6**	**30.2**	**50.0**
24	सिक्किम	**71.5**	**48.9**	**61.1**
25	तमिलनाडु	**69.9**	**34.6**	**51.4**
26	तेलंगाना	**66.4**	**35.2**	**50.6**
27	त्रिपुरा	**71.0**	**11.9**	**41.9**
28	उत्तराखंड	**66.9**	**16.2**	**41.4**
29	उत्तर प्रदेश	**68.6**	**13.3**	**40.8**
30	पश्चिम बंगाल	**77.7**	**21.7**	**49.7**
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**76.9**	**20.1**	**49.1**
32	चंडीगढ़	**69.5**	**22.3**	**47.3**
33	दादर और नगर हवेली	**85.9**	**42.4**	**68.6**
34	दमन और दीव	**86.7**	**18.1**	**55.1**
35	लक्षद्वीप	**52.4**	**9.2**	**29.5**
36	पुडुचेरी	**70.0**	**28.8**	**47.8**
	अखिल भारत	**71.0**	**23.3**	**47.3**

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), जुलाई, 2018-जून, 2019 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।